Nadu), Shri N.R. Elango (Tamil Nadu), Shri A. A. Rahim (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal) and Shri P. Wilson (Tamil Nadu).

Shri Iranna Kadadi; Demand for legal protection to stop any fund diversion of Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) and Tribal Sub-Plan (TSP).

Demand for legal protection to stop any fund diversion of Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) and Tribal Sub Plan (TSP)

श्री ईरण्ण कडाडी (कर्नाटक): महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मैं इस सदन के माध्यम से कर्णाटक में कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक विफलताओं और असंवैधानिक विचारधारा की ओर सरकार तथा देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने कर्णाटक में 5 गारंटियों के वादे पर वर्ष 2023 में चुनाव लड़ा और सत्ता में आई, लेकिन अब वे ही पांच गारंटियाँ राज्य के बजट पर 52,000 करोड़ का बोझ बन चुकी हैं। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पास इस भारी-भरकम खर्च को वहन करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं। ¥

डा. सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक): सर, आप उनसे कहिए कि वे इसको authenticate करें। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will ask him to authenticate. ...(*Interruptions*)... नासिर जी, बैठ जाइए। I will ask him to authenticate.

श्री ईरण्ण कडाडी : ¥ यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों और खुद कांग्रेस सरकार द्वारा 2013 में लाए गए कानून का भी सीधा उल्लंघन है, जिसके अनुसार बजट का 24% उपयोग केवल दलितों और आदिवासियों के कल्याण पर खर्च किया जाना अनिवार्य है। इस फंड को अन्य योजनाओं में खर्च करना न केवल इन समुदायों के अधिकारों का हनन है, बल्कि यह उस भरोसे का भी अपमान है, जो उन वर्गों ने लोकतांत्रिक सरकार पर किया है।

डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय सुरक्षित करने के लिए संविधान में संरक्षण दिया था, ¥इतना ही नहीं, कर्णाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में एक विशेष समुदाय को चार प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की है, ...(**व्यवधान**)... जिससे दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षित अवसरों का हनन होगा। जब भाजपा के विधायकों ने इस मुद्दे पर कर्णाटक विधानसभा में आवाज उठाई, तो 18 विधायकों को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, जो लोकतंत्र का अपमान है। ¥

¥ Not recorded as directed by the Chair.

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। श्री ईरण्ण कडाडी जी, आपने जो भी तथ्य कहे हैं, उनको authenticate करके दे दीजिएगा।

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Iranna Kadadi: Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Sujeet Kumar, (Odisha) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Raghav Chadha, "Need for Judicial Reforms in the country."

Need for Judicial Reforms in the country

श्री राघव चड्ढा (पंजाब)**:** सर, हम भारत के लोग अदालत को न्याय का मंदिर कहते हैं। आम आदमी जब इस अदालत की चौखट पर जाता है, तो उसे विश्वास होता है कि न्याय जरूर मिलेगा। जैसे ऊपर वाले के दरबार में देर है, अंधेर नहीं, वैसे ही यह माना जाता है कि समय भले ही लग जाए, लेकिन अन्याय नहीं होगा। समय-समय पर judiciary ने अपने भरोसे और विश्वास को और अधिक मजबूत भी किया है। लेकिन हाल ही में घटी कुछ घटनाओं के चलते देश चिंतित है और focus judicial reforms पर है। जैसे इस देश में electoral reforms, police reforms, education और healthcare reforms हुए, वैसे ही judicial reforms होने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे reforms जो judicial independence को मजबूत करें और judicial corruption को समाप्त करें।

मैं इस विषय पर दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा - Appointment of judges से लेकर retirement of judges तक। जहाँ तक जजों की नियुक्ति की बात है, समय-समय पर कॉलेजियम सिस्टम की shortcomings, यानी कि खामियां Law Commission की reports और legal luminaries के बयानों के माध्यम से सामने आई हैं। शायद इसी कारण NJAC जैसा कानून लाने की जरूरत भी पड़ी। लेकिन अब समय आ गया है कि कॉलेजियम स्वयं ही अपने आप को reform करे, खुद को reinvent करे, ताकि दो मुख्य मुद्दे - lack of transparency, lack of public scrutiny - जो कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना का कारण बनते हैं, उन्हें दूर किया जाए। एक independent transparent process बने, जिसमें seniority, merit और integrity के आधार पर नियुक्ति हो।

मैं इस संदर्भ में एक सुझाव रखना चाहूंगा। पहले, advocates को senior advocates designate करने के लिए एक opaque system था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित नई प्रक्रिया के तहत अब एक transparent point-based process अपनाई गई है। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र लिया जाता है, फिर उनकी number of years of practice, *pro bono* matters की संख्या, और reported judgement के आधार पर नम्बर देकर नियुक्ति की जाती है। इसी तरह, यदि कॉलेजियम सिस्टम एक transparent point-based, merit-based system अपनाए, तो जजों की नियुक्ति में जनता का विश्वास और अधिक बढ़ेगा।